120

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर शिविर भोपाल

निग./3054/III/15 पुन.क्रमांक................./20

हाशिम अली आ. श्री इक्तेदार अली
निवासी– पुरानी सब्जी मण्डी आष्टा
जिला–सीहोर

.... आवेदक

विरुद्ध

239

म.र. रमेश लववंशी अधि. द्वारा आज दि० 22/8/15 को प्रस्तुत।

अधीक्षक
कार्यालय कमि.
भोपाल संभाग, भ

1. म.प्र.शासन
2. प्रेमनारायण सोनी 3. नवीन सोनी
4. कविश माथुर 5. देवेश माथुर
6. चन्द्रेश माथुर 7. कैलासचन्द्र टेलर

आत्मज श्री कन्हैयालाल

समस्त निवासी बड़ा बाजार,आष्टा .... अनावेदकगण

अपील अन्तर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.संहिता–1959

महोदय,

आवेदक न्ययालय अति. आयुक्त भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक–202/ए/13–14 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2015 से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहा है ।

तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक के पूर्वजों के समय से वार्ड क्रं.10 पर मकान स्थित है जो जीर्ण–क्षीर्ण होने से मरम्मत का कार्य किये जाने पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा शिकायत की जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा–248 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिक प्रक्रिया अपनाएं दिनांक 23.05.2013 को आदेश पारित किये गये जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की गई । अतः पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है ।

वैधानिक आधार

01. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधान एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

.....

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3054–दो / 15 जिला –सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२५-9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री रमेश सक्सेना उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 202 / अपील / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 22.6.15 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2– मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानी प्रकरण कमांक 2100–अध्यक्ष / 15 भी इसी न्यायालय में दायर किया था उसमें दिनांक 21–7–16 को आदेश पारित किया जा चुका है। अब इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	